# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत धान / फोर्टीफायड चावल (अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल) अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शिका के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या–2637 दिनांक–04.10.2025

महाशय,

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में धान / फोर्टीफायड चावल (अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल) अधिप्राप्ति कार्यक्रम 01 नवम्बर, 2025 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जा रहा है। कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.in पर पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में राज्य के पंजीकृत किसानों से ही धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक प्राप्त हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि व्यापारी या बिचौलिए की संलिप्तता किसी भी स्थिति में न हो ।

अतः अनुरोध है कि खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 हेतु तैयार मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किसानों से लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त ।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025

प्रतिलिपि– सभी पुलिस अधीक्षक / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

E:\backup\Year_2025 Sec_10(AS)\KMS 2015-16 - Copy.doc

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025
प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना / मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) / महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / प्रबंध निदेशक, सहकारी बैंक लि0, पटना / महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, अरूणाचलन भवन, एक्जीविशन रोड, पटना / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025
प्रतिलिपि– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025
प्रतिलिपि– सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र010 / ख0वि0अधि0–04 / 2025 2945 खाद्य, पटना / दिनांक– 30/10/2025
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/2025
प्रधान सचिव।

# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
## खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्थान्तर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु
# मार्गदर्शिका

राज्य में धान की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (Decentralised Procurement-DCP) के अंतर्गत सम्पन्न की जानी है। तद्आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में धान अधिप्राप्ति का सांकेतिक लक्ष्य 36.85 लाख मे0टन माना जाय तथा अधिक से अधिक किसानों से उनके उत्पादित धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति की जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति के लिए पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु क्रय केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्त धान की मिलिंग पंजीकृत, जिला टास्क फोर्स से चयनित एवं सम्बद्ध गैर प्रमादी मिल के साथ एकरारनामा कर निर्धारित गुणवत्ता/मानक के अनुरूप फोर्टीफायड चावल नोडल एजेंसी के निर्धारित संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराया जाएगा। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा अग्रिम फोर्टीफायड चावल मिल से प्राप्त कर संग्रहण केन्द्र में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अग्रिम फोर्टीफायड चावल जमा करने के पश्चात् पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा मिल को चक्रानुक्रम में समतुल्य मात्रा मे धान की आपूर्ति की जाएगी। प्राप्त अग्रिम फोर्टीफायड चावल के विरुद्ध ही पैक्स/व्यापार मण्डल द्वारा मिल को धान की आपूर्ति की जाएगी। उक्त प्राप्त फोर्टीफायड चावल का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में जन वितरण प्रणाली एवं सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनान्तर्गत किया जाएगा। राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत नोडल एजेंसी होगी। पूरी अधिप्राप्ति प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदण्ड को पूरा कर तैयार किए गए Online Procurement System आधारित होगी। पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा उन्हीं निबंधित किसानों से धान क्रय किया जाएगा, जो कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधित हो एवं उनके द्वारा भूमि संबंधी विवरण Upload किया गया हो।

अधिप्राप्ति संबंधी सभी कार्रवाई यथा किसानों का निबंधन, किसानों से धान का क्रय, भुगतान संबंधी विपत्र/एडभाईस का प्रेषण, समितियों द्वारा मिलरों को धान का प्रेषण, ट्रक चालान, पैक्स द्वारा मिलर से फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति एवं फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र पर फोर्टीफायड चावल का प्रेषण, स्वीकृत्यादेश (Acceptance Order), स्वीकृति सह विश्लेषण प्रतिवेदन (Acceptance cum Analysis Report), क्रय सह भुगतान अभिश्रव (Purchase cum Payment Voucher), भुगतान आदेश (Payment Advice), बैंक सलाह सूची का निर्माण Online ही सम्पन्न होगा। Online निर्गत विभिन्न आदेशों की हस्ताक्षरित प्रति का ही उपयोग विभिन्न आनुसंगिक कार्य हेतु किया जाएगा। अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सभी प्रकार का भुगतान Online निर्गत भुगतान आदेश के आलोक में PFMS के माध्यम से होगा। PFMS के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान नहीं किया जाएगा।

चुँकि सारी प्रक्रिया Online सम्पन्न होना है, ऐसी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि को esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित अधिप्राप्ति संबंधी विवरण मान्य होगा एवं भारत सरकार द्वारा निर्मित Central Food Procurement Portal (CFPP) पर सभी सूचनाएँ Real Time पर भौतिक सत्यापन आधारित Upload होगी।

जिलावार धान अधिप्राप्ति तथा अधिप्राप्ति के समतुल्य फोर्टीफायड अरवा एवं फोर्टीफायड उसना चावल अधिप्राप्ति का लक्ष्य अलग से संसूचित किया जायेगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, खेती करने वाले किसानों से धान की अधिप्राप्ति एवं पैक्सों और व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर फोर्टीफायड चावल नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को प्राप्त कराने की अवधि संबंधी विवरणी निम्न प्रकार होगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | साधारण धान | 2369/– रू0 प्रति क्वींटल | |
| 2 | धान (ग्रेड–'ए') | 2389/– रू0 प्रति क्वींटल | |
| 3 | धान अधिप्राप्ति की अवधि | 1. दिनांक:–01.11.2025 से 28.02.2026 तक | कोशी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में |
| | | 2. दिनांक 15.11.2025 से 28.02.2026 तक | राज्य के शेष जिलों में। |
| 4 | फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की अवधि * | दिनांक 01.11.2025 से 15.06.2026 तक | |

*पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा 15.06.2026 तक अधिप्राप्ति धान के विरुद्ध फोर्टीफायड चावल बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा।

## 2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

**i.** इच्छुक किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar. gov.in पर निबंधित एवं भूमि से संबंधित तथा अन्य सूचनाओं को अंकित (Upload) किए जाने के पश्चात्, उन किसानों से धान का क्रय पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा बायोमेट्रीक सत्यापन के माध्यम से किया जा सकेगा।

**ii.** रैयती किसानों के लिए – कृषि विभाग के पोर्टल_www.dbtagriculture.bihar. gov.in पर निबंधित रैयती किसानों से निबंधन संख्या के आधार पर भूमि से संबंधित तथा अन्य सभी वांछित सूचनाओं को अंकित किए जाने के पश्चात् पैक्स/व्यापार मंडलों के द्वारा प्रति रैयती किसान अधिकतम 250 क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति कराई जाएगी।

**iii.** गैर–रैयती किसानों के लिए – गैर–रैयती किसान द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन के पश्चात् उक्त पंजीयन संख्या के आधार पर कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar. gov.in_पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात् System Generated स्वघोषणा–पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उसके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य या उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अधिकतम प्रति गैर रैयती किसान 100 क्वीं0 धान की अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कराई जाएगी।

**iv.** प्रारंभ में ज्यादा से ज्यादा किसानों को अधिप्राप्ति का लाभ पहुँचाने एवं चालू मौसम में कृषि कार्य में उन्हें आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा।

**v.** धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता के लिए सहकारिता विभाग के द्वारा मोबाईल एप (ePACS Bihar Grains) का निर्माण किया गया है। पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा इस मोबाईल एप के माध्यम से निबंधित एवं भूमि संबंधी सूचनाओं को अंकित करने वाले किसानों की प्रदर्शित सूची के आधार पर निबंधित किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाएगी।

**vi.** राज्य में गठित सभी अंकेक्षित एवं चयनित पैक्स/व्यापार मंडल जिनका नाम कालीसूची में दर्ज नहीं हो, को क्रय केन्द्र हेतु क्रियाशील बनाया जाएगा। तकनीकी अथवा वैधानिक कारणों से पैक्स/व्यापार मंडल के अक्रियाशील रहने की स्थिति में सहकारिता विभाग बगल के पैक्स/व्यापार मंडल के साथ इसकी सम्बद्धता की व्यवस्था करेगा ताकि पंचायत के किसानों को धान बिक्री में कोई असुविधा न हो।

**vii.** क्रय किये गये धान के मूल्य के लिए किसानों को सहकारी बैंक के एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घन्टों के अन्दर भुगतान की व्यवस्था नामित खातों में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में किसानों से क्रय किये गये धान का बकाया नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अन्य खाते में या नकद भुगतान किया जाएगा।

**viii.** लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में फोर्टीफायड चावल का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये धान के समतुल्य फोर्टीफायड चावल पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट अधिष्ठापित मिल जो पंजीकृत और गैर प्रमादी हो तथा मिलिंग हेतु आवश्यक सुविधाओं यथा स्टोनर, डबल पॉलिसर, सॉर्टेक्स एवं ग्रेडर की व्यवस्था से सुसज्जित हो तथा जिला टास्क फोर्स द्वारा गठित दल द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित कराया गया हो, के माध्यम से फोर्टीफायड सी0एम0आर0 तैयार कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप जाँच में सही पाए जाने पर उक्त फोर्टीफायड चावल का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत किया जाएगा। इसके लिए सी0एम0आर0 गोदाम पर प्रतिनियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त सी0एम0आर0 की गुणवत्ता की नियमानुसार जाँच सुनिश्चित करेंगे।

**ix.** किसी भी परिस्थिति में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट अधिष्ठापित किए बिना चावल मिलरों का निबंधन/सम्बद्धता नहीं की जाएगी। प्रत्येक चावल मिल के निबंधन के लिए उसका विद्युत संयोजन अनिवार्य होगा और मिलों की माहवार विद्युत खपत की सूचना विद्युत वितरण कंपनियों से ऑन–लाईन प्राप्त की जाएगी, जो API के माध्यम से ई–सहकारी पोर्टल पर स्वतः दर्ज होगी और पुनः API के माध्यम से CFPP पोर्टल पर भेजी जाएगी। इस कार्य की निगरानी सहकारिता विभाग के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

**x.** मिलों से एकरारनामा सहकारिता विभाग द्वारा संसूचित विहित प्रपत्र में ही किया जाएगा।

**xi.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल से मिलिंग क्षमता को ध्यान में रखते हुए गारन्टी के रूप में अग्रिम फोर्टीफायड चावल (सी0एम0आर0) संग्रहण केन्द्र में प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त अग्रिम फोर्टीफायड चावल के समानुपातिक अधिप्राप्त धान मिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। पुनः धान के समानुपातिक फोर्टीफायड चावल प्राप्त करने के पश्चात् समतुल्य धान की आपूर्ति करने का क्रम जारी रखा जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति में अधिक धान मिलरों के पास न रहे। इस प्रकार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा चक्रानुक्रम में मिलिंग कराया जाएगा।

**xii.** जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिला टास्क फोर्स के द्वारा अनुमोदित अगल–बगल के जिला में पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया जाएगा।

**xiii.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिलों से मिलिंग कराकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरुप जॉचोपरान्त फोर्टीफायड चावल निगम द्वारा संचालित विभिन्न चावल संग्रह केन्द्रों पर जमा किया जाएगा।

**xiv.** भारत सरकार द्वारा धान एवं चावल के परिवहन करने वाले वाहनों का वाहन पोर्टल पर निबंधन, सत्यापन तथा जी0पी0एस0 ट्रैकिंग को अनिवार्य बनाया गया है। तदनुसार सभी पैक्स/व्यापार मंडल धान/चावल का परिवहन करने वाले वाहनों के निबंधन संबंधी ऑकड़े राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर दर्ज करेंगे, जिसका सत्यापन परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑन–लाईन किया जाएगा। मात्र जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही धान एवं चावल की ढुलाई की जायेगी। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों की व्यवस्था पैक्सों के द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी और इसे ससमय उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के Vechicle Tracking System (V.T.S) पर की जाएगी। साथ ही, API के माध्यम से भारत सरकार के CFPP पोर्टल पर भेजी जाएगी। इसके

अतिरिक्त खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में धान एवं चावल के परिवहन में उपयोग किये जाने वाले वाहनों को वाहन सारथी पोर्टल के साथ जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

**XV.** सभी मिलरों को धान मिलिंग के क्रम में माहवार विद्युत खपत, सम्बद्ध पैक्सों/व्यापार मंडलों से लॉटवार धान की मात्रा एवं उनके गोदाम में उपलब्ध धान की मात्रा तथा लॉटवार सी0एम0आर0 जमा किये जाने से संबंधित सूचना राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा जिसे API के माध्यम से CFPP पोर्टल पर भेजी जायेगी। इस कार्य की निगरानी जिला टास्क फोर्स के माध्यम से सहकारिता विभाग के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

**xvi.** धान मिलिंग हेतु पैक्स/व्यापार मंडल से सभी सम्बद्ध मिलरों को मिलिंग क्षमता के साथ अनिवार्य रूप से राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर निबंधित होना होगा, जो CFPP (Central Food Procurement Portal) के साथ एकीकृत होगी।

**xvii.** गत वर्ष की तरह खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 के लिए भारत सरकार के द्वारा Minimum Threshold Para meters (MTP) को भी पूरा करने का निदेश दिया गया है, जिसके तहत किसानों से आधार आधारित धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित किया जाना है। आधार आधारित अधिप्राप्ति के अनुपालन हेतु सहकारिता विभाग क्रय केन्द्रों पर किसानों के आधार सत्यापन (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन) के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

**xviii.** पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल State Food Procurement Portal (SFPP) एवं CFPP पोर्टल पर प्रदर्शित फोर्टीफायड चावल की मात्रा के आधार पर विधिवत् जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 03 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

**xix.** CFPP (Central Food Procurement Portal) एवं SFPP (State Food Procurement Portal) अर्थात ई–सहकारी पोर्टल पर डाटा की भिन्नता को रोकने के लिए भौतिक सत्यापन आधारित क्रय को ही CFPP पोर्टल पर Forward किया जाएगा।

**xx.** विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से सम्बद्ध सभी राशि सरकारी राशि है। ऐसी स्थिति में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन जिलों द्वारा निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर समतुल्य फोर्टीफायड चावल गुणवत्ता की जॉचोपरान्त जमा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में उन जिलों के संबंधित पैक्स अध्यक्ष/प्रशासक/व्यापार मंडल/राईस मिल को अविलंब चिन्हित किया जाय एवं उनके विरूद्ध कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई यथा Certificate Case बगैरह की जाएगी। साथ ही ऐसे पैक्स/व्यापार मंडल/राईस मिल को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

**xxi.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा वायदा आधारित (Future trade based) धान के क्रय की अनुमति नहीं होगी एवं यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित धान या फोर्टीफायड चावल की मात्रा ऑन–लाईन प्रतिवेदित नही की जाएगी।

**xxii.** भारत सरकार के द्वारा पत्र संख्या 40-4/2020-QCC दिनांक 16.07.2021 के द्वारा धान अधिप्राप्ति तथा फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार धान/फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता मानक के अनुरूप प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय जाँचदल से Periodic inspection तथा Surprise inspection की व्यवस्था लागू की गई है। भारत सरकार के स्तर से इस संदर्भ में निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में धान/फोर्टीफायड चावल के गुणवत्ता तथा निरीक्षण कार्य को सम्पन्न किया जाएगा।

**xxiii.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अंतर्गत सी0एम0आर0 प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अधिप्राप्त धान के समतुल्य सी0एम0आर0 राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा नहीं कराये जाने के स्थिति में अवशेष धान के सी0एम0आर0 प्राप्ति के लिए अवधि विस्तार हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 1(4)/2019-Py-I-Part(2)(389254) दिनांक 06.10.2025 द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश के आलोक में संयुक्त भौतिक सत्यापन कराते हुए ससमय प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना होगा।

**xxiv.** सहकारिता विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का यह दायित्व होगा कि पैक्स/व्यापार मंडलों के गोदामों के साथ–साथ चावल मिलरों के गोदामों एवं फोर्टीफायड चावल गोदामों का प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए एवं परिलक्षित त्रुटियों का ससमय निवारण करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण धान/फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

**xxv.** भारत सरकार के द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2018–19 एवं उसके पश्चात् धान/फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति के लिए गन्नी बैग का उपयोग एवं उक्त के परिप्रेक्ष्य में Usage charges को भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए दिशा–निर्देश निर्गत है, जिसमें किसानों से अधिप्राप्त धान को 50 किलो क्षमता के गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो धान की मात्रा भरकर पैक्स/मिलरों के गोदामों में विधिपूर्वक संधारित करने का प्रावधान है। साथ ही आवश्यकतानुसार भारत सरकार की अनुमति से गन्नी बैग के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप Usage charges को प्राप्त करने के लिए सभी निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा कर तद्नुरूप प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाने के पश्चात् भारत सरकार से इस मद में वांछित राशि विमुक्त किए जाने हेतु अनुरोध करने का प्रावधान है। अतः अनुपालन हेतु किसानों द्वारा अधिप्राप्त धान को एक बार उपयोग किए गए गन्नी बैग में अधिकतम 40 किलो की मात्रा भरकर पैक्स/मिलरों के गोदामों में विधिपूर्वक संधारित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित बहुस्तरीय जाँच के क्रम में अधिप्राप्त धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा को प्रतिवेदित धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा के आलोक में जाँच की जा सके।

**xxvi.** बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करेगा कि फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति हेतु यथावांछित संख्या में गन्नी बैग्स की ससमय उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि किसी भी परिस्थिति में जिलान्तर्गत गन्नी बैग्स की कमी नहीं हो सके। खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में यदि जूट आयुक्त, कोलकाता के द्वारा ससमय नये गन्नी बैग्स की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा एक बार प्रयोग किये गये गन्नी बैग का क्रय करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यकतानुसार क्रय कर गन्नी बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

**xxvii.** राज्य सरकार के द्वारा अवशेष धान के मिलिंग हेतु अवधि विस्तार संबंधी प्रस्ताव भेजने के पूर्व अवशेष धान का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। यह प्रस्ताव मिलिंग अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर ही भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के द्वारा मिलिंग हेतु अवधि विस्तार संबंधी प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 10 प्रतिशत मिल/Storage Point का चयन कर सयुंक्त भौतिक सत्यापन राज्य सरकार की टीम के साथ कराया जाएगा। अवशेष धान की मात्रा के आधार पर मिल/Storage Point को घटते हुए क्रम में सजाते हुए तीन Category (A,B,C) में बांटा जाएगा एवं निम्न प्रकार से 10 प्रतिशत मिलों का चयन किया जाएगा :–

Category-A: (Top 30 % of mills/storage points in the list) - 6%
Category-B: (Between 30% to 60% of mills/storage points in the list) - 3%
Category-C: (Remaining 40% of the mills/storage points in the list) - 1%

**xxviii.** सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि ऑन–लाईन प्रतिवेदित अधिप्राप्त धान की मात्रा के आलोक में गोदामों का भौतिक सत्यापन कराकर समतुल्य विहित गुणवत्ता के अनुरूप फोर्टीफायड चावल की शत–प्रतिशत मात्रा मिलरों से प्राप्त करते हुए निर्धारित समय–सीमा तक फोर्टीफायड चावल गोदामों में जमा कर तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन सहकारिता विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

**xxix.** विकेन्द्रीकृत धान अधिप्राप्ति का कार्य भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल में अद्यतन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् Online सम्पन्न किया जा रहा है। इसलिए प्रत्येक दिन अधिप्राप्त धान तथा फोर्टीफायड चावल की मात्रा को राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SFPP) पर अपलोड कर केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल CFPP पोर्टल पर प्रसारण (Transmission) बाध्यकारी होगा। साथ ही उक्त से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन की प्रति FCI के जिला कार्यालय/क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति ऑनलाईन माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

**XXX.** बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थापित फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों पर लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वीं0 फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति की जाएगी।

**3. जिला स्तरीय प्रबंधन**

**i.** जिला पदाधिकारी द्वारा सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम से स्वतंत्र एक वरीय पदाधिकारी को अधिप्राप्ति कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया जाएगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से अविलम्ब कर ली जाए :–

**A. लक्ष्य का निर्धारण**

**i.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांकेतिक लक्ष्य 25 लाख मे0टन फोर्टीफायड चावल (36.85 लाख मे0टन धान) को अंतिम सीमा नही माना जाए एवं राज्य के रैयती/गैर–रैयती किसानों से उनके लिए निर्धारित मात्रा अंतर्गत अधिक से अधिक अधिप्राप्ति को प्रोत्साहित किया जाए।

**ii.** जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार/पंचायतवार अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित की जाएगी, ताकि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी ससमय की जा सके।

**iii.** पैक्सवार/व्यापार मंडलवार धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित करते समय संबंधित जिला पदाधिकारी, के द्वारा जिला अंतर्गत धान उत्पादन की वास्तविक आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में धान अधिप्राप्ति की मात्रा उत्पादन सीमा से अधिक नहीं हो।

**iv.** बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों की स्थापना करते हुए अधिसूचित की जाएगी, ताकि पैक्सों को फोर्टीफायड चावल जमा करने में कठिनाई न हो। इस कार्य हेतु निगम के पास उपलब्ध बड़े गोदामों को चिन्हित कर गोदाम प्रबंधक एवं गुणवत्ता नियंत्रक की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

**B. क्रय केन्द्रों का निर्धारण**

**i.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत किसानों से धान क्रय हेतु मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखण्ड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक–एक क्रय केन्द्र की स्थापना की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में राईस मिल के परिसर में धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों का निर्धारण नही किया जाएगा। मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी सहकारिता विभाग की है।

**ii.** जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल हेतु निर्धारित क्रय केन्द्र की पूर्ण विवरणी, यथा क्रय केन्द्र की अवस्थिति, गोदाम की भंडारण क्षमता (कवर्ड एवं कैप के साथ) अधिसूचित की जाएगी। साथ ही सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इसकी मैपिंग अधिप्राप्ति पोर्टल पर की जाएगी एवं PCSAP पोर्टल पर सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों के माध्यम से वांछित सभी सूचनाओं को प्रविष्ट कराने का कार्य पूर्ण किया जायेगा। विभाग स्तर पर इसके अनुश्रवण का दायित्व सहकारिता विभाग के नोडल पदाधिकारी का होगा।

**iii.** सहकारिता विभाग के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला अंतर्गत संचालित सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई है :–

- ❖ क्रय केन्द्रों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर अधिप्राप्ति कार्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान में नमी की अनुमान्य प्रतिशत मात्रा एवं अन्य गुणवत्ता तथा क्रय केन्द्र से संबंधित पदाधिकारी का मोबाईल नम्बर का बैनर/दीवार अभिलेखन।
- ❖ क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- ❖ कच्चा फर्श होने की स्थिति में खाद्यान्न डालने/रखने के निमित्त तिरपाल की व्यवस्था।
- ❖ किसानों को प्रतीक्षा हेतु टेन्ट की व्यवस्था।
- ❖ अस्थायी भण्डारण सुविधा यथा सड़क/सीमेंन्टेड/पक्का फर्श तिरपाल से ढका हुआ की व्यवस्था।

- ❖ लेन–देन रिकार्ड हेतु विहित प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्टर की व्यवस्था।
- ❖ बायोमेट्रीक डिवाईस का संधारण।
- ❖ माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ Moisture Meter की व्यवस्था एवं Calibration।
- ❖ Blower/Drier की आवयश्कतानुसार व्यवस्था।
- ❖ किसानों के आधार आधारित अधिप्राप्ति के लिए सत्यापन हेतु आवश्यक उपकरण।
- ❖ प्रति दिन ऑनलाईन पंजीकृत किसानों की सूची वेबसाईट/पैक्स/व्यापरमंडलों के क्रय केन्द्र पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था, ताकि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।
- ❖ पर्याप्त रोशनी/विद्युत संपर्कता की व्यवस्था।
- ❖ माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- ❖ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था।
- ❖ केन्द्र के आस–पास पर्याप्त खुले स्थान का होना।
- ❖ विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- ❖ किसानों को PFMS के माध्यम से 48 घंटों के अन्दर भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।

**iv.** भारत सरकार के पत्र संख्या 9(2)/2023-PY.I दिनांक 15.07.2024 के द्वारा मानक अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में पैक्स एवं व्यापार मंडल के धान अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगी :–

- ❖ भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप दंड के अनुरूप गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था एवं डनेज(dunnage) मटेरियल की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
- ❖ घेराबन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
- ❖ कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- ❖ पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था।
- ❖ अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था।
- ❖ सुरक्षा की व्यवस्था।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- ❖ निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।

**v.** सभी जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि जिलों में उपर्युक्त तैयारियों के साथ माह 01 नवम्बर 2025 तथा 15 नवम्बर, 2025 से क्रमवार निर्धारित धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के अनुरूप उन क्षेत्रों के सभी क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाए।

**vi.** अधिप्राप्ति अवधि (दिनांक 28.02.2026 तक) समाप्त होते ही जिला पदाधिकारी सभी क्रय केन्द्रों यथा पैक्स एवं व्यापार मंडल क्रय केन्द्र से विहित प्रपत्र में धान क्रय का अंतिम प्रतिवेदन राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SFPP) एवं केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल (CFPP) पर प्रदर्शित ऑकड़ों के आलोक में भौतिक सत्यापनोपरान्त समेकित कराकर अंतिम प्रतिवेदन अधिकतम दिनांक 15.03.2026 तक सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम मुख्यालय एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगें। अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुनः समर्पित संशोधित प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**vii.** चूँकि अधिप्राप्ति की सारी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.02.2026 को esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित धान क्रय की मात्रा खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के लिए मान्य होगा।

यदि भौतिक सत्यापन में क्रय केन्द्र पर धान/सी0एम0आर0 कम मात्रा में पाया जाता है तो संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला पदाधिकारी यथोचित निर्णय लेंगें एवं जबावदेही निर्धारित कर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध करायेंगें।

**viii.** चूँकि अधिप्राप्ति का कार्य अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से सम्पन्न कराया जाना है, जिसमें गोदामों में भण्डारित अवशेष भी प्रदर्शित होगा, ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करेंगें।

**ix.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा फोर्टीफायड चावल का परिवहन कर निगम द्वारा संचालित निकटतम फोर्टीफायड चावल गोदाम में स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फोर्टीफायड चावल की आपूर्ति की जाएगी।

**x.** फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रो पर फोर्टीफायड चावल प्राप्ति के संदर्भ में निम्नांकित तथ्य अनुकरणीय होंगे :–

★ फोर्टीफायड चावल लॉट वार प्रति लॉट 290 क्वीं0 फोर्टीफायड चावल की प्राप्ति किया जाएगा।

★ प्रत्येक फोर्टीफायड चावल प्रभारी द्वारा पैक्सवार प्रति लॉट प्राप्त चावल की सूचना Automatic Alert SMS के माध्यम से जिला प्रबंधक/अपर जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) को प्रतिदिन देना सुनिश्चित किया जाएगा ।

★ फोर्टीफायड चावल प्राप्ति की सारी कार्रवाई ऑनलाईन सम्पन्न की जायेगी।

★ फोर्टीफायड चावल के निर्गमन में "प्रथम आगत–प्रथम निर्गत" सिद्धांत का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

**C. भंडारण की व्यवस्था**

**i.** अधिप्राप्त धान एवं फोर्टीफायड चावल के भण्डारण हेतु प्रयुक्त सभी गोदाम का पूर्ण विवरण यथा गोदाम का नाम, गोदाम की अवस्थिति, भण्डारण क्षमता, Covered/Uncovered के साथ क्रमशः जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पैक्स द्वारा प्रयुक्त गोदामों की मैपिंग की जवाबदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं चावल संग्रह केन्द्रों के लिए अधिसूचित गोदामों के मैपिंग की जवाबदेही जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की होगी।

**ii.** धान/फोर्टीफायड चावल के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार क्रमशः पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किराये पर गोदाम लिया जा सकेगा।

**iii.** जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिलों में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औधोगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाउन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।

**iv.** सी0एम0आर0 भण्डारण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले सभी गोदामों को अवशेष भण्डार शून्य (Zero Physical Verification) के पश्चात उक्त गोदामों का वीडियोग्राफी कराये जाने के पश्चात ही सी0एम0आर0 प्राप्त किया जायेगा।

**v.** अधिप्राप्त धान/फोर्टीफायड चावल का भण्डारण नियमानुसार Stack Wise एवं गणना करने योग्य संधारित करने की अनिवार्यता होगी, जिससे भौतिक सत्यापन के क्रम में भण्डारित धान/ फोर्टीफायड चावल की मात्रा का सत्यापन किया जा सके। यदि भौतिक सत्यापन के क्रम में धान/ फोर्टीफायड चावल गणना करने योग्य नहीं पाये जाने की स्थिति में तीन दिन के अन्दर Stack Wise एवं गणना योग्य संधारित किया जाना अनिवार्य होगा। यदि भौतिक सत्यापन दल द्वारा पुनः सत्यापन के क्रम में भण्डारित धान/ फोर्टीफायड चावल गणना योग्य नही पाए जाने की स्थिति में उक्त मात्रा के धान/चावल के दावे को कम/कट कर दिया जाएगा।

## D. परिवहन की व्यवस्था

**i.** अधिप्राप्ति कार्य में जी0पी0एस0 युक्त वाहनों से ही धान एवं चावल की ढुलाई की जायेगी। जी0पी0एस0 युक्त वाहनों की व्यवस्था पैक्सों के द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी और इसे ससमय उपलब्ध कराने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जिला टास्क फोर्स के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला टास्क फोर्स के द्वारा इस हेतु सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

## E. मिलिंग की व्यवस्था

**i.** जिला टास्कफोर्स द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत मिलों से वैसे मिल जो गैर प्रमादी हों और जिनके मिलों में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिग यूनिट अधिष्ठापित हो, साथ ही स्टोनर, डबल पॉलिसर, ग्रेडर, सॉर्टेक्स एवं मिलिंग हेतु अन्य सुविधायें उपलब्ध हो का चयन किया जाएगा एवं दूरी को मद्देनजर पैक्स/व्यापार मंडल के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। मिलों को सम्बद्ध किये जाने के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कही प्रमादी मिलरों द्वारा नाम परिवर्तित कर पंजीकरण तो नहीं किया गया है। मिलिंग की सम्बद्धता पैक्स/व्यापार मंडल की पसन्द से नहीं की जाएगी। खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 अंतर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मिल टैगिंग के क्रम में जिला टास्क फोर्स के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर Route Optimization को ध्यान में रखा जायेगा। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**ii.** चावल तैयार किये जाने के लिए मिलरों को धान आवंटन उनके वार्षिक मिलिंग क्षमता के केवल 75 प्रतिशत तक ही किया जाएगा।

**iii.** मिलरों को पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त माहवार धान की मात्रा को राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही अधिप्राप्त धान की मिलिंग निर्धारित अवधि के भीतर कर समतुल्य चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केन्द्रों पर जमा कराना अनिवार्य होगा।

**iv.** जिला टास्क फोर्स द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों से उन मिलरों को सम्बद्ध नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा विगत वर्षो में धान की मिलिंग में विलंब किया जाता हो या जिनके द्वारा उपलब्ध कराए गए चावल गुणवत्ता युक्त नहीं होने के कारण गुणवत्ता जॉच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/संयुक्त जाँच दल द्वारा Reject (खारिज) किया गया हो।

**v.** पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा जिला टास्कफोर्स से चयनित ऑनलाईन पंजीकृत गैर प्रमादी मिलर के साथ एकरारनामा कर अधिप्राप्त धान की मिलिंग कराकर अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम पर शत–प्रतिशत फोर्टीफायड चावल विहित प्रक्रिया के अनुरूप जॉचोपरान्त लॉट वार (290 क्वीं0 प्रति लॉट) जमा कराया जाएगा। मिलिंग हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा मिलरों को धान की आपूर्ति मिलरों से प्राप्त फोर्टीफायड चावल के समतुल्य ही की जाएगी और यह प्रक्रिया चक्रानुक्रम में जारी रहेगी। किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त धान मिलरों को नहीं दी जायेगी। इसे जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ।

**vi.** खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु निबंधित मिलों का सत्यापन तीव्र गति से हो, इसके लिए जिला टास्क फोर्स द्वारा एक से अधिक जिला स्तरीय टीम गठित कर सत्यापन कराया जा सकता है, ताकि ससमय समितियों के साथ मिलों का टैंगिग कराते हुए चावल अधिप्राप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए।

**vii.** जिन जिलों में लक्ष्यांकित धान की मात्रा के समानुपातिक रूप में मिलों की मिलिंग क्षमता अपेक्षाकृत कम है, तथा निर्धारित समय सीमा अंतर्गत धान की शत–प्रतिशत कुटाई की संभावना न हो, उन जिलों में उपलब्ध मिलिंग क्षमता के अतिरिक्त धान की मिलिंग का कार्य पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा जिला टास्क फोर्स की सहमति प्राप्त कर अगल–बगल के जिलों में गैर प्रमादी पंजीकृत/अनुमोदित मिलों से एकरारनामा कर कराया जाएगा। जिला टास्क फोर्स द्वारा अधिकतम उसना फोर्टीफायड चावल मिलों की ही टैगिंग की जाएगी।

**viii.** वैसे पैक्स जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ मिलर का भी कार्य करते है, द्वारा संचालित राईस मिलरों को अधिप्राप्ति धान की कुटाई हेतु प्राधिकृत किये जाने के पूर्व यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि टी0पी0डी0एस0 हेतु प्राप्त खाद्यान्न एवं धान की कुटाई से प्राप्त फोर्टीफायड चावल का भण्डारण पृथक गोदामों में संधारित हो। साथ ही पैक्स द्वारा संधारित जन वितरण गोदामों को जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं फोर्टीफायड चावल गोदामों को जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा माह में एक बार उक्त गोदामों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

**ix.** एकरारनामित मिलर को उनके द्वारा जमा अग्रिम फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध सम्बद्ध पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा संचालित क्रय केन्द्र से आनुपातिक रुप में धान प्राप्त कराया जायेगा एवं इस संदर्भ में ट्रक चालान (RT-Note) पैक्स/व्यापार मंडल जारी करेगा।

**x.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के विरूद्ध ही मिलरों से अग्रिम फोर्टीफायड चावल जॉचोपरान्त प्राप्त किया जायेगा। साथ ही प्राप्त फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध तीन दिनों के अंदर मिलरों को समानुपातिक धान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

**xi.** भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में भण्डारित अधिप्राप्ति धान/फोर्टीफायड चावल की गुणवत्ता, भण्डारण एवं प्रबंधन की क्रमशः Periodic inspection तथा Surprise inspection समय–समय पर की जाएगी, जिसके आलोक में प्रतिवेदित धान/फोर्टीफायड चावल की मात्रा को ही स्वीकार किया जाएगा।

**xii.** मिलरों से अधिप्राप्त धान के परिप्रेक्ष्य में सी0एम0आर0 प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले एकरारनामों में सहकारिता विभाग आवश्यक संशोधन करेगी ताकि ससमय सी0एम0आर0 जमा नहीं करने के लिए दोषी मिलरों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

F. **<u>इसके अतिरिक्त मिलिंग से संबंधित निम्न कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी :–</u>**

**i.** वैसे प्रमादी मिलर जो गत वर्षो में निर्धारित अवधि में सी0एम0आर0 हस्तगत कराने में असफल रहे हैं, परन्तु अवशेष सी0एम0आर0 के समतुल्य राशि सभी प्रकार के देयता सहित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम खाता में जमा कर देते हैं तो खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में अधिप्राप्त धान की कुटाई हेतु सत्यापनोपरान्त एकरारनामा के पात्र होगें।

**ii.** वैसे मिलर जो प्रमादी हों, जिनके विरूद्ध लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत् कार्रवाई लम्बित हो, Arbitration में मामला चल रहा हो अथवा राशि वसूली हेतु किसी न्यायालय में मामला लम्बित हो वो मिलिंग हेतु एकरारनामा के पात्र नहीं होंगें।

**iii.** मिलों के चयन के पूर्व जिला के जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा नामित बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मिलों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। मिलों के चयन में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों, यथा मिल मालिक का नाम एवं पता तथा उद्योग विभाग द्वारा मिल मालिक के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति तथा अद्यतन बिजली बिल का भुगतान एवं प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण प्रमाण पत्र, विगत दो वर्षो का आयकर रिटर्न एवं अद्यतन प्रमाण पत्र, GST No., SSI Registration No., EPF Registration No., PAN, मिलरों की अंकेक्षित अद्यतन लेखा विवरणी, वैसे सभी वांछित अभिलेख जिससे यह प्रमाणित हो कि संबंधित मिलरों के विरूद्ध कोई Legal Obligation न हो, अधिष्ठापित उपस्कर के आलोक में दैनिक/मासिक मिलिंग क्षमता, मिल के सम्प्रति कार्यरत रहने संबंधित प्रमाण पत्र की जाँच एवं मिल परिसर में छतदार भंडारण की क्षमता के अतिरिक्त चावल मिलों में ऑटोमेटिक/डायनेमिक ब्लेंडिंग यूनिट, स्टोनर, डबल पॉलिसर, सॉर्टेक्स एवं ग्रेडर की व्यवस्था का व्यावहारिक आकलन किया जाएगा। इस क्रम में विगत वर्षो के अनुभव के आधार पर छद्म मिल/मिलर तथा गत खरीफ विपणन मौसम में शत–प्रतिशत सी0एम0आर0 नहीं हस्तगत कराने वाले मिल से एकरारनामा नहीं किया जाएगा। संयुक्त जाँच दल द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित मिलों का फोटोग्राफ एवं मैपिंग (अक्षांश/देशान्तर) भी उपलब्ध रहे। तत्पश्चात जिला टास्क फोर्स द्वारा मिलरों का चयन किया जाएगा।

**iv.** पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा पंजीकृत चयनित मिलरों से एकरारनामा करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि संबंधित मिल की मिलिंग क्षमता के आलोक में अग्रिम फोर्टीफायड चावल प्राप्त होने के पश्चात् ही अधिप्राप्त धान की मात्रा विहित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उपलब्ध करायी जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी/गबन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई/वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

**v.** पैक्स/व्यापार मंडलों को मिलरों के साथ सम्बद्ध करने में जिला टास्क फोर्स के द्वारा मिलरों के मिलिंग क्षमता पैक्स/व्यापार मंडल से मिल की दूरी को ध्यान में रखा जाएगा। ताकि खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत Route Optimization की व्यवस्था लागू हो सके। इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**vi.** उपर्युक्त प्रक्रिया के उपरांत मानक के अनुसार Short Listed किये गये पंजीकृत मिल के मालिकों के साथ जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक के उपरांत Short Listed मिल के मालिकों से ही पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा धान कुटाई हेतु एकरारनामा करने की कारवाई की जाएगी। पैक्सों/व्यापार मंडलों के साथ मिलरों की सम्बद्धता करते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखा जाए कि क्रय केन्द्रों से मिलों की दूरी न्यूनतम एवं Location सही हो।

**vii.** सभी संबद्ध पैक्स/व्यापार मंडल संचालक को उनके संबद्ध मिल पर प्रतिनियुक्त सहकारिता विभाग के पदाधिकारी/जिला के पदाधिकारी की मोबाईल संख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

**viii.** प्रत्येक मिल पर सुचारू रूप से मिलिंग कार्य हेतु यह अनिवार्य है कि जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मिलिंग के समय उपलब्ध हों एवं यह सुनिश्चित करें कि मिलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा है एवं क्षमता/भंडार से अधिक धान अनावश्यक रूप से वहां नहीं पहुँचाया जाए।

**ix.** मिल पर प्रतिनियुक्त जिला के पदाधिकारी/सहकारिता विभाग के पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि तैयार फोर्टीफायड चावल को भारत सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता के जाँचोपरान्त पूर्व से अधिसूचित बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के फोर्टीफायड चावल गोदाम में भेजें।

**x.** मिल से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के फोर्टीफायड चावल गोदाम में फोर्टीफायड चावल पहुँचाने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल पर्याप्त मात्रा में परिवहन व्यवस्था वाहन क्षमता के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स/व्यापार मंडल से सम्बद्ध मिलरों की दूरी के अनुरूप परिवहन क्षमता की व्यवस्था हो।

**xi.** पैक्स/व्यापार मंडल यह सुनिश्चित करेंगे कि धान एवं फोर्टीफायड चावल परिवहन में प्रयुक्त वाहन जी0पी0एस0 युक्त हो।

**xii.** पैक्स एवं व्यापार मंडल द्वारा एकरारनामित मिल पर जिला के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के लिए कैम्प की व्यवस्था की जाए।

**xiii.** सभी एकरारनामित मिल राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल (SFPP) से सम्बद्ध रहेंगे।

**4. धान क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात**

**i.** रैयती किसानों के लिए – रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधी सूचनाओं को ऑन–लाईन अपलोड किए जाने के पश्चात् फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।

**ii.** गैर रैयती किसानों के लिए – गैर रैयती किसानों द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि से संबंधित सूचनाओं को अपलोड करने के पश्चात् System Generated स्वघोषणा–पत्र पर (क) किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक तथा (ख) वार्ड सदस्य या उसके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उस क्षेत्र के मुखिया या उस क्षेत्र के पंचायत समिति के सदस्य या उस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य (क एवं ख दोनों से) से संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र–मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छाया प्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज– इनमें से कोई एक।

**iii.** क्रय केन्द्रों पर किसानों से धान का क्रय करने के क्रम में पंजीकृत किसानों तथा कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधी सूचनाओं को अपलोड किए जाने की सूची से मिलान सुनिश्चित किया जाएगा तथा आधार सत्यापनोपरान्त किसानों द्वारा समर्पित स्वतःजनित प्रमाण–पत्र एवं पहचान पत्र के आलोक में धान की अधिप्राप्ति की जाएगी।

**iv.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत साफ–सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जाएगी। साथ ही धान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप गुणवत्ता की जाँच की जाएगी।

**v.** पैक्सों एवं व्यापार मंडलों द्वारा तैयार फोर्टीफायड चावल का हस्तांतरण संबद्ध निगम के अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम पर विहित प्रपत्र में निर्गत Acceptance Order के आधार पर किया जाएगा।

**5. भुगतान की व्यवस्था**

**i.** अधिप्राप्ति संबंधी सभी प्रकार का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।

**ii.** किसी भी परिस्थिति में वायदा आधारित (Future trade based) कोई भी धान या फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति एवं भुगतान नहीं किया जाएगा।

**iii.** किसान को पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसपर क्रय धान की मात्रा, मूल्य एवं भुगतान की सम्भावित तिथि आदि अंकित होगी, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से किसान को दी जाएगी। किसानों को उनके खाते में धान की समतुल्य राशि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित सहकारी बैंको के खातों से सहकारी समूहों द्वारा निर्गत एडवाईस के आलोक में वांछित राशि प्राप्त कर PFMS के माध्यम से अधिकतम 48 घण्टे के अन्दर अंतरित की जाएगी एवं राशि अन्तरण की सूचना SMS से दी जाएगी।

**iv.** पैक्स/व्यापार मंडलों को उनके द्वारा जमा फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उनसे प्राप्त कागजातों यथा एकरारनामित/पंजीकृत मिलों से एकरारनामा की छायाप्रति, सत्यापित बैंक एडवाईस, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र, धान का पैक्स द्वारा मिलरों को निर्गत आर0टी0नोट की प्रति (प्रथम/अग्रिम फोर्टीफायड चावल छोड़कर) धान/फोर्टीफायड चावल संबंधित आर0टी0 नोट, एक्सेप्टेन्स नोट एवं वजन तालिका आदि की विधिवत् राज्य अधिप्राप्ति पेार्टल पर प्रदर्शित मात्रा के जाँचोपरान्त PFMS के माध्यम से अधिकतम 3 दिनों के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित की जाएगी।

**v.** सी0एम0आर0 का अंतिम भुगतान जिला पदाधिकारी के स्तर से भौतिक सत्यापन के आधार पर अधियाचना के आलोक में की जाएगी।

**6. पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था :–**

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण धान/फोर्टीफायड चावल की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार के द्वारा नई मानक संचालक प्रक्रिया निर्गत की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी जिला पदाधिकारी धान अधिप्राप्ति के दौरान पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण हेतु निम्नांकित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे :–

**i.** अनुमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमण्डल अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

**ii.** प्रत्येक प्रखण्ड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला पदाधिकारी जिला से एक वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

**iii.** पैक्स/व्यापार मंडल संचालित धान क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन प्रत्येक सप्ताह में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र करते हुए समीक्षा हेतु प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

**iv.** फोर्टीफायड चावल संग्रहण हेतु निर्धारित गोदामों के पर्यवेक्षण के लिए वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में एक दल का गठन किया जाएगा, जो फोर्टीफायड चावल गोदामों पर गुणवत्तापूर्ण फोर्टीफायड चावल अधिप्राप्ति सुनिश्चित कराएगी। जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा जिला अंतर्गत निर्धारित फोर्टीफायड चावल गोदामों का प्रत्येक माह भ्रमण कर गुणवत्ता के जाँचोपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।

**v.** भण्डारण हेतु जिला अंतर्गत चिह्नित गोदामों में मिलवार भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जाँच के क्रम में परिलक्षित गड़बड़ी के आलोक में दोषी चावल मिलरों/कर्मियों की पहचान स्पष्ट हो।

**vi.** भारत सरकार/भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियेां की गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा नियमित अंतराल पर धान अधिप्राप्ति का निरीक्षण तथा भारत सरकार के स्तर से अधिप्राप्ति कार्यक्रम के औचक निरीक्षण के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा जाँच दल को प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान किया जाएगा।

**vii.** भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया में BRL (Beyond Rejection Limit) चावल के संबंध में दिशा–निर्देश दिया गया है। खरीफ विपणन मौसम, 2025–26 में जिला स्तर से गठित जाँच दल/संयुक्त जाँच दल/औचक निरीक्षण के क्रम में गोदामों में भण्डारित चावल की गुणवत्ता जाँच के दौरान Beyond Rejection Limit पाई जाती है, तो संबंधित स्टॉक के बदले FAQ (Fair Average Quality) चावल जमा करने हेतु पैक्स/व्यापार मंडल बाध्य होगा, जो उनके अपने जोखिम पर बदला जाएगा एवं बदले हुए स्टॉक को विहित जाँचोपरान्त प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत चिह्नित BRL स्टॉक को FAQ (Fair Average Quality) स्टॉक में बदलने तथा सत्यापन/प्रमाणन की पूरी कार्रवाई 06 सप्ताह के अंदर पूरी की जाएगी।

**viii.** जिला स्तरीय/संयुक्त जाँच दल स्तरीय औचक निरीक्षण के क्रम में यदि फोर्टीफायड चावल गोदामों में मानव उपभोग हेतु वर्जित/अयोग्य चावल संधारित पाया जाता है, तो इस प्रकार के चावल को अयोग्य घोषित करते हुए संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल को चिह्नित कर पूरी मात्रा की भरपाई समतुल्य FAQ (Fair Average Quality) चावल प्राप्त कर की जाएगी तथा अयोग्य घोषित चावल का निस्तार संबंधित पैक्स/व्यापार मंडल के खर्च पर किया जाएगा।

## 7. <u>जिला पदाधिकारी की भूमिका</u>

**i.** जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार धान की अधिप्राप्ति एवं अधिप्राप्त धान की मिलिंग कर समानुपातिक मात्रा में शत प्रतिशत फोर्टीफायड चावल हस्तगत कराने की जिला स्तर पर पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।

**ii.** क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से धान का क्रय सुनिश्चित करना एवं लगातार क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कराकर धान अधिप्राप्ति को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

**iii.** जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ अधिप्राप्ति की समीक्षा पर आवश्यक निदेश दिया जायेगा।

**iv.** मिल से राज्य खाद्य निगम के सी0एम0आर0 संग्रहण केन्द्रों पर सी0एम0आर0 जमा करने हेतु ले जाने के पूर्व मिलों पर गुणवत्ता पूर्ण सी0एम0आर0 तैयार किये जाने के लिए आवश्यक जॉच की व्यवस्था किये जाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।

**v.** बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा सभी सी0एम0आर0 गोदामों पर गुणवत्ता नियंत्रकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन गुणवत्ता नियंत्रकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप प्राप्त सी0एम0आर0 की गुणवत्ता की नियमानुसार जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

**vi.** बिहार राज्य खाद्य निगम के अनुरोध पर फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र पर आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।

**vii.** मिलिंग हेतु अधिप्राप्ति के लिए निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधानित अग्रिम चावल के समतुल्य अधिकतम अनुमान्य धान की मात्रा से अधिक आपूर्ति पर रोक का प्रभावी अनुश्रवण किया जाए।

**viii.** धान अधिप्राप्ति हेतु अंतिम निर्धारित तिथि 28.02.2026 समाप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शत–प्रतिशत धान का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी की होगी।

**ix.** सी0एम0आर0 का अंतिम भुगतान जिला पदाधिकारी के स्तर से भौतिक सत्यापन के आधार पर अधियाचना के आलोक में की जाएगी।

**8. जिला पदाधिकारी की विशेष शक्तियाँ**

**i.** अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगें।

**ii.** प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशासनिक नियंत्रण जिलाधिकारी के अधीन होगा। साथ ही धान अधिप्राप्ति एवं फोर्टीफायड चावल प्राप्ति में जिलाधिकारी पर्यवेक्षण के साथ–साथ जिला स्तर पर गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आपेक्षित कार्रवाई गुरूत्तर जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगें।

**9. पुलिस अधीक्षक की भूमिका**

क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

**10. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं पैक्स/व्यापार मंडलों की भूमिका**

**i.** किसानों के द्वारा पैक्सों/व्यापार मंडलों के क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति हेतु लाये गये धान का अनलोडिंग एवं मिलिंग हेतु धान मिल तक पहुँचाने तथा मिल से सी0एम0आर0 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के सी0एम0आर0 गोदाम तक पहुँचाने की जिम्मेवारी पैक्सों/व्यापार मंडलों की होगी। इसके लिए पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की व्यवस्था एवं उनको स्वीकृत दर पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

**ii.** किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ उनके नामित खातों में PFMS के माध्यम से क्रय के 48 घंटे के अंदर सहकारी बैंक के एडवाईस के आधार पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार सहकारी संगठनों को एडवाइस तथा राशि का संसूचन एवं हस्तांतरण करना होगा।

**iii.** मिलरों को FRK की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना तथा FRK के गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करना।

**iv.** जिलों में आवश्यकतानुसार अधिसूचित फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र एवं अतिरिक्त फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्र की स्थापना, कार्मिक की प्रतिनियुक्ति एवं चावल संग्रहण केन्द्रों को 01 नवम्बर तथा 15 नवम्बर, 2025 से क्रियाशील करना।

**v.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय धान के समानुपातिक संबद्ध मिलरों द्वारा तैयार फोर्टीफायड चावल की जॉचोपरान्त क्रय केन्द्र पर जमा करने हेतु Acceptance Order निर्गत करना। स्वीकृति आदेश (Acceptance Order) के निर्गमन में FIFO (First In First Out) का अनुपालन करना। Acceptance Order निर्गत होने के प्रावधानित तीन दिनों के अंदर सी0एम0आर0 नहीं गिराने पर अधिकतम एक सप्ताह का समय देकर उसे निरस्त/निष्क्रिय करना। मिलरों के स्तर से प्राप्त होने वाले Acceptance Order के क्रम में ही STR/Truck Challan निर्गत करना। जिला टास्क फोर्स से चयनित सभी पैक्सों/व्यापार मंडलों को पहला Acceptance Order निर्गत होने के बाद अगला Acceptance Order उनके द्वारा सी0एम0आर0 जमा कराये जाने के क्रम में निर्गत करना।

**vi.** पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जमा कराने हेतु लाये गये सी0एम0आर0 का वाहन सहित फोटोग्राफी कराना तथा अभिलेख के रूप में संधारित करना।

**vii.** पैक्सों/व्यापार मंडलों से अधिप्राप्त धान के विरूद्ध समानुपातिक फोर्टीफायड चावल निगम के फोर्टीफायड चावल संग्रहण केन्द्रों पर जॉचोपरान्त प्राप्त करना।

**viii.** प्रत्येक दिन प्राप्त होने वाले सी0एम0आर0 का अनिवार्य रूप से राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रविष्टि करना।

**ix.** चावल की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना।

**x.** प्रतिदिन पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये धान एवं मिलों में मिलिंग कराये गये फोर्टीफायड चावल से संबंधित प्रतिवेदन विभाग, मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त को भेजना।

**xi.** पैक्स/व्यापार मंडल एवं निगम का अधिप्राप्ति वर्षवार लेखा का अंकेक्षण कराना।

**xii.** अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

**xiii.** नोडल एजेंसी के रुप में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पैक्स/व्यापारमंडल से अग्रिम फोर्टीफायड चावल प्राप्त कर विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार अंतः जिला एवं अन्तर जिला TPDS में उसके उपयोग का प्रबंधन करेगी।

**xiv.** पैक्स/व्यापार मंडल को तैयार फोर्टीफायड चावल उपलब्ध कराने हेतु प्रति क्वींटल नया दो गन्नी बैग की व्यवस्था करना।

**xv.** जूट आयुक्त द्वारा पर्याप्त मात्रा में नया गन्नी बैग उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में भारत सरकार से एक बार उपयोग किये गये गन्नी बैग का क्रय अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में क्रय करने की कार्रवाई नियमानुसार किया जाएगा।

**xvi.** विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के तहत धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम को अधिक सुचारू एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश वित्तीय एवं प्रशासनिक हित में निर्गत करेगी।

**xvii.** धान अधिप्राप्ति के समापन की सतत समीक्षा कर दैनिक एवं अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित समयसीमा में प्राप्त करना। खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के समापन के उपरान्त गोदामों का सत्यापन एवं अंकेक्षण कराना।

**11. सहकारिता विभाग की भूमिका**

**i.** जिला स्तर पर संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करेगें।

**ii.** राज्य अंतर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु कार्यरत पैक्स/व्यापार मंडल की संख्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले किसानों की संख्या, अधिप्राप्त धान की मात्रा तथा अधिप्राप्त धान के एवज में किसानों को भुगतान की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि से संबंधित सूचना, राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो CFPP पोर्टल से एकीकृत होगी।

**iii.** किसी भी दिन की दैनिक लेन–देन का विवरण राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल एवं केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल (CFPP) पर ऑटो –सिन्क्रोनाइजेशन के माध्यम से अगले दिन सुबह 06 बजे से पहले CFPP पोर्टल पर प्रसारित करेंगे।

**iv.** यदि पैक्स/व्यापार मंडलों के स्तर पर किसानों से धान ससमय नहीं लिये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाएगी।

**v.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 अन्तर्गत सिर्फ अंकेक्षित एवं गैर प्रमादी पैक्स/व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।

**vi.** चूँकि किसानों से कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकृत एवं ऑन–लाईन समर्पित भूमि संबंधी सूचनाओं के आधार पर धान अधिप्राप्ति का दायित्व सहकारिता विभाग को सौपा गया है, इसलिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा के डाटा बेस के आधार पर पैक्स/व्यापार मंडलों से प्राप्त किये गये फोर्टीफायड चावल के विरूद्ध भुगतान करने की कार्रवाई की जाएगी।

**vii.** क्रय केन्द्र पर धान की प्राप्ति, क्रय केन्द्र पर संचालित विभिन्न कार्य, मिलिंग कराने एवं संग्रहण केन्द्र पर फोर्टीफायड चावल उपलब्ध कराने तक के लिए परिवहन एवं हथालन का व्यय नियमानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाएगा।

**viii.** सहकारिता विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि पैक्सों/व्यापार मंडल को पर्याप्त नगद ऋण अधिसीमा (सी0सी0 लिमिट) अविलम्ब उपलब्ध हो। इस संबंध में बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पटना को निदेश है कि समितियों को ससमय पर्याप्त कैश–क्रेडिट ऋण उपलब्ध हो, इस हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

**ix.** पैक्स/व्यापार मंडल का दायित्व है कि सहकारी बैंको से प्राप्त कैश–क्रेडिट लिमिट अंतर्गत ही उनके द्वारा ऑन–लाईन एडवाईस जेनरेट कर उतनी ही राशि राज्य खाद्य निगम के जिले में अवस्थित बैंक के खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

**x.** अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों का चयन करना तथा चयनित क्रय केन्द्रों पर आधार आधारित अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना।

**xi.** गत वर्ष में अक्रियाशील वैसे पैक्स/व्यापार मंडलों जो किसी कारणवश अधिप्राप्ति कार्य में भाग नहीं ले पाए, को खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में कार्य करने की स्थिति में लाने की दिशा में समुचित/विधि सम्मत कार्रवाई करना ताकि सभी पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का केन्द्र क्रियाशील हो सके।

**xii.** खरीफ विपणन मौसम 2025–26 में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा जिलावार लक्ष्यांकित कुल धान को एकरारनामित मिल में कुटाई (मिलिंग) कराके निगम के अधिसूचित फोर्टीफायड चावल गोदाम केन्द्र पर क्रय धान के समतुल्य सिर्फ फोर्टीफायड चावल उपलब्ध करायेंगें।

**xiii.** पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर धान के क्रय के पूर्व निर्धारित मानक के अनुरूप धान की गुणवत्ता की जाँच, प्रत्येक कार्य दिवस को क्रय के पश्चात समतुल्य राशि का अंतरण बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के जिला मुख्यालय स्तर पर अवस्थित सहकारी बैंक के खातों में सुनिश्चित करने के अतिरिक्त पैक्स/व्यापार मंडल क्रय केन्द्र पर अधिप्राप्ति किये गये धान का प्रारंभिक भंडार, प्राप्ति एवं अधिशेष भंडार की सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों, यथा प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।

**xiv.** मिलिंग हेतु अधिप्राप्ति के लिए निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया में प्रावधानित अग्रिम धान की आपूर्ति पर रोक का प्रभावी अनुश्रवण करना।

**xv.** अग्रिम चावल की आपूर्ति होते ही पैक्सों/व्यापार मंडलों के द्वारा प्रावधानित तीन दिनों के अन्दर समतुल्य धान की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

**xvi.** पैक्सों/व्यापार मंडल क्रय केन्द्रों का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।

**xvii.** पैक्स/व्यापार मंडल को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना, ताकि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के खाते से किसानों को तत्काल PFMS से ऑनलाईन भुगतान हो सके।

**xviii.** जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।

**xix.** पैक्स अध्यक्षों/व्यापार मंडल के प्रबंधकों/प्रशासकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।

**xx.** वैसे जिले जहाँ सहकारी बैंक नहीं है, वहाँ बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा पूर्व की भाँति वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ।

**xxi.** अधिप्राप्ति की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न किया जाना है। ऐसी स्थिति में अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28.02.2026 को esahkari.bihar.gov.in पर प्रदर्शित क्रय की मात्रा अंतिम रुप से मान्य होगा।

**xxii** जिला पदाधिकारी 10 दिनों के अन्दर क्रय केन्द्र का भौतिक सत्यापन कराते हुए अंतिम प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगें।

**xxiii.** यदि राज्य अधिप्राप्ति पोर्टल पर प्रदर्शित मात्रा एवं भौतिक सत्यापन में पैक्स/व्यापार मंडलवार कोई अंतर आता है तो जिला पदाधिकारी अंतर के बिन्दु पर अंतिम रुप से निर्णय लेंगें। यदि अंतर के कारण में कोई अनियमितता दृष्टिगोचर होता है तो इस संबंध में जबावदेही निर्धारित करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर प्रतिवेदन बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं निबंधक सहयोग समितियाँ को उपलब्ध करायेंगें।

**xxiv.** किसी भी पैक्स/व्यापार मंडल पर निर्वाचन आदि के कारण प्रबंध समिति की अनुपलब्धता की स्थिति में ससमय प्रशासक की नियुक्ति करना, जिससे की अधिप्राप्ति कार्यक्रम प्रभावित न हो।

**12. खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग की भूमिका**

**i.** विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।

**ii.** नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना।

**iii.** बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि का प्रबंध करने में सहयोग करना।

**iv.** अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित नीतिगत हस्तक्षेप।

**13. जिलों के प्रभारी सचिव की भूमिका**

**i.** प्रत्येक माह अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं मुख्य सचिव, विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

**14. प्रमण्डलीय आयुक्त की भूमिका**

**i.** अधिप्राप्ति कार्य की अवधि में संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा।

**ii.** अपने स्तर से जाँच दल गठित कर अधीनस्थ जिलों में अधिप्राप्ति कार्य का औचक निरीक्षण कराते रहना।

**iii.** प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना।

**15. स्थानान्तरण एवं अवकाश पर प्रतिबंध**

**i.** सामान्य रूप से अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी धान अधिप्राप्ति कार्य से जुड़े सभी अभिलेख एवं भंडार का पूर्ण प्रभार सौंप कर ही विरमित होंगें।

**ii.** अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

चूँकि धान अधिप्राप्ति सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार धान/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की distress sale की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित।

17/10/25

**सचिव,**
**सहकारिता विभाग,**
**बिहार, पटना**

**प्रधान सचिव,**
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,**
**बिहार, पटना।**